<u>न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, गंगापुर सिटी</u>

पीठासीन अधिकारी–रेशमा खान, जिला न्यायाधीश संवर्ग

आपराधिक अपील संख्या 134/2022(Cis No. 70/2018)

सी.एन.आर. नंबर RJSM070006452018

1. गंगा बेवा स्व.ठण्डी
2. लच्छीराम पुत्र स्व.ठण्डी
3. धर्मसिंह पुत्र स्व.ठण्डी
4. सुरेशचंद पुत्र स्व.ठण्डी

निवासी सलौना पी.एस. सदर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज.

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक अदालत हाजा –प्रत्यर्थी

श्री अंकुर गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1 गंगापुर सिटी द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 40/2015 (389/2007) सरकार/ठण्डी व अन्य में दिनांक 29.06.2018 को पारित निर्णय व दंडादेश के विरूद्ध अपील

<u>उपस्थिति,</u>

1. श्री बृजनंदन दीक्षित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री घनश्यामसिंह अपर लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक 13.07.2026**

1. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने यह अपील न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं.01, गंगापुर सिटी द्वारा आ.प्र.सं. 40/2015 (389/2007) सरकार/ठण्डी व अन्य में दिनांक 29.06.2018 को पारित निर्णय/आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मजरूब बजरंगलाल ने पर्चा बयान प्र.पी.3 दिनांक 19.06.2007 को इस आशय का दिया कि दिनांक 19.06.07 को करीब दस बजे सवेरे वह, उसका भाई हनुमान, वली व उसकी ताई काम कर रहे थे, वह कुऐ पर नहा रहा था। अचानक ठण्डी, लच्छी, धर्मसिहं, सुरेश, ज्ञानसिहं, जीतराम, गंगा, मुकला, लखनबाई, अनीता, सुनीता ट्रेक्टर लेकर उनके खेत को जोतने लग गए। ये सभी लोग हाथों में लाठी डण्डा कुल्हाड़ी लेकर आए थे मना करने पर उसके ठण्डी व धर्मसिहं ने लाठी डण्डों से चोटें मारी जिससे उसके दाँये पैर के घुटने के ऊपर एवं नीचे कमर के ऊपर पीठ पर कई तरफ चोटें मारी। उसका भाई हनुमान आया तो उसके सुरेश व ज्ञानसिहं लच्छी ने चोट मारी, हनुमान के लच्छी ने कुल्हाड़ी की सिर में मारी जिससे उसके खून निकल आया, ज्ञानसिंह ने लाठी की चोट मारी, वली को भी धर्मसिहं व ठण्डी ने लाठी व कुल्हाड़ी की चोट मारी जिससे उसके कमर के ऊपर व बॉयी भुजा पर चोटें आई। उसकी ताई के गंगा, मुकला व

लखनबाई ने लाठी डण्डों से मारा जिससे शरीर पर जगह–जगह चोटें आई। रामखिलाड़ी व बनैसिंह ने बीच बचाव किया...

3. उक्त सूचना के आधार पुलिस थाना गंगापुर सिटी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 544/2007 अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 447 भा.दं.सं. दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद अनुसंधान अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 147, 149, 323, 341, 325 भा.दं.सं. में विचारण न्यायालय में पेश किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 147, 323, 341, 325/149 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 बलीप्रसाद, पी.ड.2 छुट्टन, पी.ड.3 हनुमान, पी.ड.4 महादेव, पी.ड.5 बजरंगलाल, पी.ड.6 शिवगिरीपाल, पी.ड.7 डा..जगदीश प्रसाद, पी.ड.8 रामखिलाडी, पी.ड.9 ज्ञानसिंह को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी0–1 लगायत प्रदर्श पी.10 के रूप में प्रदर्शित कराई गई हैं।

6. अभियुक्तगण को धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य में डी.ड.1 सुरेश परीक्षित हुआ व दस्तावेज प्र.डी.1 से प्र.डी.22 पेश कर प्रदर्शित करवाये।

7. विचारण न्यायालय द्वारा बहस अन्तिम सुनी जाकर दिनांक 29.06.2018 को निर्णय/आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 147, 341/149,323/149,325/149 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध करते हुए अपीलार्थीगण अभियुक्तगण को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

8. अपील मेमो में यह तथ्य परिलक्षित किये हैं कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य व विधि की उचित विवेचना किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अभियोजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। चश्मदीद गवाह पी.ड.4 महादेव प्रसाद व पी.ड.8 रामखिलाडी ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। नक्शा मौका प्र.पी.2 की ताईद गवाह पी.ड.2 व पी.ड.4 के बयानों से नहीं होती है। चश्मदीद गवाहान द्वारा न तो झगडे का स्थान साबित है और न ही झगडा किया जाना साबित है। परिवादी द्वारा झगडे से संबंधित गोंडे वाला खेत का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली पर पेश नहीं किया है। प्रकरण व क्रोस केस के अनुसंधान अधिकारी ओमपालसिंह द्वारा दोनों ही मुकदमो में विवादितस्थल का नक्शा मौका कसीद किया गया है, अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को विद हैल्ड किया गया है। अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से परिवादी द्वारा प्रस्तुत घटना की ताईद नहीं हो रही है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने में कानूनी भूल की है। प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज व बयानों से परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तपक्ष के साथ की गई मारपीट साबित है,समस्त गवाहान के बयानों से अभियुक्तपक्ष द्वारा मारपीट करना साबित नहीं होते हुए भी उन्हें दोषी मानकर कानूनी भूल की है। अंत में अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

9. अपील मेमो में अंकित उक्त तथ्य की पुनरावृत्ति करते हुए अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. उक्त तर्कों का विरोध अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह कहकर किया है कि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आयी सम्पूर्ण साक्ष्य का अपराध के परिप्रेक्ष्य में विवेचन विधि के सिद्धान्तों के अनुरूप किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपील मेमो व बहस के दौरान प्रकट नहीं किया है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाएं। विचारण न्यायालय का निर्णय सम्पुष्ट किया जायें।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली व आक्षेपित निर्णय तथा संबंधित विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। इस अपील पत्रावली के निस्तारण हेतु इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश पारित किये जाने में क्या विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटी कारित की गयी है?

12. वर्तमान आपराधिक अपील, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमांक–1, गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 29.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 341, 323 एवं 325 सहपठित धारा 149 के अपराधों के लिए दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया। अभियोजन का आधार परिवादी बजरंगलाल का पर्चा बयान है, जिसमें यह वर्णित है कि दिनांक 19.06.2007 को प्रातः लगभग 10:00 बजे वह अपने भाई हनुमान, बली तथा अपनी ताई कौरी के साथ अपने खेत पर उपस्थित था। उसी समय अभियुक्तगण धर्मसिंह, गंगा, लच्छीराम, सुरेश एवं ठण्डी ट्रैक्टर पर सवार होकर लाठी, डण्डा एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर आए तथा परिवादी के खेत को जोतने लगे। मना करने पर अभियुक्तगण ने एकराय होकर परिवादी पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे बजरंगलाल, हनुमान, बली एवं कौरी को चोटें आई। विचारणोपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्तगण को उपर्युक्त धाराओं में दोषसिद्ध किया। उक्त निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि घटनास्थल अभियोजन द्वारा दर्शाए गए स्थान से भिन्न था, अनुसंधान अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया गया तथा इसी घटना के संबंध में दर्ज क्रोस केस में परिवादी पक्ष द्वारा अपराध स्वीकार कर दोषसिद्धि प्राप्त कर ली गई थी, जिससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करने पर यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन ने परिवादी बजरंगलाल द्वारा पर्चा बयान में वर्णित घटनाक्रम को सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध कर दिया है। घायल साक्षी PW–5 बजरंगलाल, PW–3 हनुमान एवं PW–1 बलीप्रसाद ने स्पष्ट एवं परस्पर संगत रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्तगण ट्रैक्टर पर सवार होकर लाठी, डण्डा एवं कुल्हाड़ी से लैस अवस्था में घटनास्थल पर आए और एकराय होकर परिवादी पक्ष पर प्राणघातक हमला किया। हनुमान के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया तथा बजरंगलाल एवं बली के साथ भी मारपीट की गई। इन घायल साक्षियों के कथनों की पुष्टि स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों रामखिलाड़ी,

ज्ञानसिंह एवं छुट्टन द्वारा भी की गई है, जिन्होंने अभियुक्तगण की उपस्थिति, उनके हथियारों तथा मारपीट की घटना का समर्थन किया है।

14. अभियोजन की मौखिक साक्ष्य को PW-7 चिकित्सक की विशेषज्ञ साक्ष्य से भी पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। चिकित्सक द्वारा हनुमान के शरीर पर फ्रैक्चरयुक्त चोट तथा बजरंगलाल की अल्ना अस्थि में फ्रैक्चर पाया जाना अभियोजन की घटना का चिकित्सकीय समर्थन करता है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि घायल साक्षी का साक्ष्य सामान्य साक्षी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय एवं उच्च श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्वयं उसके शरीर पर प्राप्त चोटों से प्रमाणित होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल सईद/मध्यप्रदेश राज्य (2010) 10 एस.सी.सी. 259 में प्रतिपादित किया है कि घायल साक्षी की गवाही को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए और जब तक उसके कथन को अस्वीकार करने के लिए ठोस एवं प्रबल कारण उपलब्ध न हों, मात्र सामान्य विरोधाभासों अथवा संबंधी होने के आधार पर उसे अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार यू.पी.राज्य/नरेश (2011) 4 एस.सी.सी. 324 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि घायल साक्षी का साक्ष्य विशेष विश्वसनीयता का अधिकारी होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बालू सुदाम खालडे/महाराष्ट्र राज्य (2023 SCC OnLine SC 355) में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी आपराधिक मुकदमे में घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का महत्व अत्यंत उच्च होता है तथा जब तक बचाव पक्ष द्वारा ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करने वाली ठोस एवं प्रभावी सामग्री प्रस्तुत न की जाए, तब तक उसके साक्ष्य को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि घटना के समय एवं स्थान पर घायल साक्षी की उपस्थिति सामान्यतः निर्विवाद मानी जाती है और यह विश्वास किया जाता है कि ऐसा साक्षी वास्तविक अपराधी को बचाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि घायल साक्षी के कथन में यदि कुछ सामान्य अतिशयोक्ति, अलंकरण अथवा समय व्यतीत होने के कारण उत्पन्न हुई लघु विसंगतियाँ पाई जाती हैं, तो केवल उन्हीं अंशों को पृथक किया जाना चाहिए, सम्पूर्ण साक्ष्य को नहीं। न्यायालय को अभियोजन कहानी के व्यापक एवं मूल स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में घायल साक्षी बजरंगलाल, हनुमान व बली प्रसाद की साक्ष्य अभियुक्तगण की उपस्थिति, अभियुक्तगण के द्वारा कारित कृत्य एवं अभियुक्तगण के द्वारा कारित चोटों के संबंध अकाटय एवं सुदृढ रही है। मात्र सामान्य विसंगतियां अभियोजन कहानी को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करती है।

15. जहाँ तक क्रोस केस का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि उसी घटना के संबंध में परिवादी पक्ष के विरुद्ध भी एक अभियोग(प्र.डी.22) पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार कर परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया। तथापि, केवल इस कारण वर्तमान अभियोजन की संपूर्ण कहानी असत्य नहीं हो जाती। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि क्रोस केस का अस्तित्व मात्र यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित थे तथा उनके मध्य विवाद एवं मारपीट हुई थी। सुधीर/मध्यप्रदेश राज्य, (2001) 2 एस.सी.सी. 688 सहित विभिन्न निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि क्रॉस

केस का अस्तित्व अपने–आप किसी एक पक्ष के अभियोजन को असत्य सिद्ध नहीं करता, बल्कि दोनों प्रकरणों का मूल्यांकन उनके स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिप्रकरण वस्तुतः अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति को ही पुष्ट करता है। जब घायल साक्षियों के सुसंगत एवं विश्वासयोग्य कथनों को स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, तब प्रतिप्रकरण में परिवादी पक्ष द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने मात्र से अभियोजन की सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य का प्रभाव कम नहीं हो जाता।

16. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि अनुसंधान अधिकारी का न्यायालय में परीक्षण नहीं कराया गया है, अतः अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। यह तर्क भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मात्र अनुसंधान अधिकारी के परीक्षण न होने से अभियोजन का पूरा मामला विफल नहीं हो जाता। ऐसा तभी कहा जा सकता है, जब अभियुक्त यह प्रदर्शित करे कि अनुसंधान अधिकारी के परीक्षण के अभाव में उसे किसी महत्वपूर्ण विरोधाभास को सिद्ध करने या अपने बचाव को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में वास्तविक एवं गंभीर प्रतिकूलता हुई है। न्यायालय का उक्त मत बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य ((1996)2 SCC317), सी.मुनीअप्पा/तमिलनाडू राज्य (2010) 9 SCC 567 से पुष्ट होता है। बचाव पक्ष यह इंगित करने में असफल रहा है कि अनुसंधान अधिकारी के परीक्षण के अभाव में उसे किस प्रकार की वास्तविक प्रतिकूलता हुई। अतः केवल अनुसंधान अधिकारी के परीक्षण न होने के आधार पर अभियोजन के अन्यथा विश्वसनीय एवं पुष्ट साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

17. अतः इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन ने संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्तगण एक अनधिकृत जमाव के रूप में, लाठी, डण्डा एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर ट्रैक्टर द्वारा घटनास्थल पर पहुँचे तथा अपने समान उद्देश्य की पूर्ति में परिवादी पक्ष पर हमला कर उन्हें गंभीर एवं साधारण चोटें कारित की, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध मौखिक एवं चिकित्सकीय साक्ष्य का सम्यक् मूल्यांकन करते हुए अभिलिखित दोषसिद्धि विधिसम्मत एवं साक्ष्य–संगत है, जिसमें अपीलीय हस्तक्षेप का कोई औचित्य परिलक्षित नहीं होता।

18. सजा के बिंदू पर न्यायालय के समक्ष यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के खिलाफ दोषसिद्धी का कोई पूर्व प्रमाण नहीं है। अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2007 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं तथा निर्णय के उपरांत यह अपील वर्ष 2018 से लंबित है। अपीलार्थीगण की आयु, क्रोस केस लंबित रहने की स्थिति, प्रकरण के उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भी अपीलार्थीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित मानती हूं।

<u>आदेश</u>

19. परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.1 गंगापुर सिटी द्वारा

आपराधिक प्रकरण संख्या 40/2015 (389/2007) बउनवान सरकार/ठण्डी व अन्य में दिनांक 29.06.2018 को पारित दोषसिद्धि आदेश की पुष्टि की जाती है, किंतु पारित दण्डादेश को संशोधित करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त आदेश की तिथि से एक माह की अवधि में विचारण न्यायालय की संतुष्टि का पांच हजार रूपये का मुचलका व इसी राशि की एक जमानत इस आशय की पेश कर तस्दीक करा दे कि वह एक साल की अवधि तक शांति व सदाचार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा भुगतने को उपस्थित होगा, तो उसे परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा पर छोड़ा जावे। प्रत्येक अपीलार्थी बारह हजार–बारह हजार रूपये बतौर अभियोजन व्यय विचारण न्यायालय में जमा कराएगा, नियत समयावधि में जमानत मुचलके पेश नहीं करने व अभियोजन राशि जमा नहीं कराने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश स्वतः प्रभावी होगा एवं विचारण न्यायालय नियमानुसार आदेशित सजा भुगतायेगा। अपीलार्थीगण की ओर से जमा करवाए जाने वाली अभियोजन राशि प्रतिकर स्वरूप मजरूबान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

20. प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त धारा 437 ए के तहत रूपये 5,000/- 5,000/-के जमानत–मुचलके इस आशय के पेश करें कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर पेश हो जावेंगे। निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी

21. निर्णय आज दिनांक 13.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी